राजस्थान सरकार
रोजगार विभाग

नागरिक अधिकार पत्र

उद्वेश्य

रोज़गार विभाग के अंतर्गत कार्यरत कार्यालयों का मुख्य उद्वेश्य सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोज़गार/स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाना एवं युवाओं को नियोज्य बनाने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करना है।

रोजगार विभाग की कार्य प्रणाली एवं भूमिका

रोज़गार कार्यालय केन्द्र एवं राज्य सरकार की समन्वित नीति के अन्तर्गत कार्य करते हैं। रोज़गार कार्यालयों की कार्यविधि का निर्धारण केन्द्र सरकार के रोज़गार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों, राष्ट्रीय रोज़गार सेवा नियम पुस्तिका एवं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जारी निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है।

नागरिक अधिकार पत्र

रोज़गार कार्यालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिये आशार्थियों एवं नियोजकों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है।

अधिकार

रोज़गार हेतु पंजीयन के संबंध में

भारत में रहने वाले भारत के समस्त नागरिक रोज़गार प्राप्ति मे सहायता हेतु स्थानीय रोज़गार कार्यालय में जहाँ वे सामान्यतः निवास करते है, पंजीयन के पात्र है।

- राजस्थान राज्य से बाहर दसवीं या कम शिक्षा प्राप्त आशार्थियों को राजस्थान का मूल निवास का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।
- रोज़गार कार्यालय में पंजीयन हेतु न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष है एवं कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
- रोज़गार कार्यालय में व्यक्तिगत पंजीयन हेतु आशार्थी को अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होते है। जिसके तहत उसी दिन आशार्थी का पंजीयन कर दिया जाता है। यदि किसी कारणवश मूल प्रमाण पत्र नहीं हो तो उस स्थिति में प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति के आधार पर भी पंजीयन कर दिया जाता है। डाक द्वारा पंजीयन की सुविधा मुख्यालय से बाहर के आशार्थियों हेतु उपलब्ध है। डाक द्वारा पंजीयन हेतु निर्धारित प्रपत्र जिला रोज़गार कार्यालय से डाक के द्वारा भी निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। डाक द्वारा पंजीयन चाहने वाले आशार्थियों का पंजीयन तीन कार्य दिवस में कर दिया जाता है।
- रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत प्रत्येक आवेदक को एक पहचान पत्र (एक्स–10) जारी किया जाता है। रोज़गार कार्यालय से पत्र व्यवहार या रोज़गार सहायता हेतु पंजीयन संख्या एवं एन.सी.ओ. का उल्लेख आवश्यक है।
- यदि कोई पंजीकृत आशार्थी अन्य रोज़गार कार्यालय के क्षेत्र में निवास करने लग गया हो तो उसके आवेदन पर उसका पंजीकरण कार्ड संबंधित रोज़गार

कार्यालय को स्थानान्तरित कर दिया जाता है एवं मूल पंजीयन की तिथि से ही पुरानी वरिष्ठता प्रदान कर दी जाती है।

- पंजीकरण के बाद यदि आवेदक अपने पंजीयन में अतिरिक्त अर्हतायें या अनुभव जोड़ने के लिये आवेदन करता है तो नई योग्यता के अनुसार उसे नये व्यवसाय में योग्यता जोडने की तिथि से पंजीकृत किया जाकर उसे नवीन पंजीयन कार्ड (एक्स–10) दे दिया जाता है। यदि आशार्थी पुरानी योग्यता के आधार पर रोज़गार अवसर चाहता है तो उसका वैकल्पिक अभिलेख तैयार कर उसमें पुरानी वरिष्ठता की सुविधा भी उपलब्ध है।
- पंजीकरण के नवीनीकरण की अवधि 3 वर्ष है, जिसका उल्लेख पंजीयन परिचय–पत्र (एक्स–10) पर अंकित रहता है, पंजीकृत आशार्थी के लिये पंजीकरण समाप्ति के माह के दौरान अथवा उसके पश्चात दो माह तक नवीनीकरण की सुविधा हैं
- रोज़गार कार्यालय के माध्यम से नियोजित आशार्थियों को रोज़गार से हटने पर 90 दिन में अपनी कार्य मुक्ति का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उसी व्यवसाय में पुरानी वरिष्ठता की सुविधा से पुनः पंजीयन की सुविधा हैं। यदि वह सेवा अनुभव के आधार पर पंजीयन कराना चाहता है तो नये व्यवसाय में पुरानी वरिष्ठता का लाभ नहीं मिलेगा।
- सैकेण्डरी या उच्च योग्यता के आशार्थी के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद हेतु इच्छुकता का प्रार्थना पत्र देने पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिक्ति ज्ञापित होने पर आशार्थियों की पात्रता पर विचार किया जाता हैं

रिक्तियों के विरूद्व नाम सम्प्रेषण (प्रेषण) हेतु निजी क्षेत्र के नियोजकों को अधिकार

- निजी क्षेत्र के नियोजकों को रोज़गार कार्यालयों की जीवित पंजिका से वाछित योग्यता के आशार्थी रोज़गार कार्यालय में उपस्थित होकर चयन करने का अधिकार है। इसका उद्वेश्य नियोजकों को विज्ञापन के व्यय से बचाना एवं उन्हें

विज्ञापन के समान आशार्थी उपलब्ध कराना है। इससे समय की बचत भी होती है।

- रोज़गार कार्यालय नियोजक की माँग के आधार पर योग्यतानुसार प्राथियों को एक सप्ताह में प्रेषित करता है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की द्वष्टि से चयन योजना का प्रदर्शन कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी किया जाता है।
- भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय 22.8.96 के अनुसार सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती से पूर्व रोज़गार कार्यालयों को रिक्ति ज्ञापन करना अनिवार्य है। रोज़गार कार्यालय से नाम मॅगवाने के साथ ही उन रिक्त स्थानों का व्यापक प्रचार प्रसार यथा समाचार पत्रों में विज्ञापन रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रचार प्रसार करवाकर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर, इत्यादि द्वारा भी आवेदन पत्र मॉगना अनिवार्य रोज़गार कार्यालय से प्राप्त सूची एवं विज्ञापन के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर सभी योग्य आशार्थियों को सम्मिलित करना नियोजक का वैधानिक कर्तव्य है। इससे सभी योग्य आशार्थियों को रोज़गार के अवसर प्राप्त होना सुनिश्चित हो सकता है।
- राजस्थान के मूल निवासियों के लिये निजी क्षेत्र में रोज़गार के और अधिक अवसर बढाने के उद्वेश्य से राज्य सरकार से उद्योग लगाने के लिये किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने वाले उद्यमियों के लिये राज्य सरकार ने अकुशल श्रमिकों में कम से कम 70 प्रतिशत एवं कुशल श्रमिकों में कम से कम 50 प्रतिशत तक स्थानीय लोगों की भर्ती करने के दिशा–निर्देश दे रखे है। स्थानीय का आशय राजस्थान राज्य के निवासी से है।

<u>रोज़गार विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधायें :–</u>

- बेरोज़गार आशार्थी निकटतम रोज़गार कार्यालय में जाकर तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक, स्वरोज़गार संबंधी प्रशिक्षण एवं अवसरों के संबंध में मार्गदर्शन एवं व्यवसाय चयन संबंधी परामर्श प्राप्त कर सकते है।

- विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिये राज्य में जयपुर, जोधुपर, उदयपुर एवं बीकानेर विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो कार्यरत हैं जो छात्र छात्राओं को व्यवसायिक मार्गदर्शन एवँ कैरियर संबंधी परामर्श व्यकितशः अथवा डाक द्वारा प्रदान करते है।
- रोज़गार कार्यालयों मे प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं अन्य स्वरोंज़गार योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने, आवेदन पत्र जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।
- केन्द्रीय रोज़गार कार्यालय द्वारा रोजगार समाचार पत्र में ज्ञापित रिक्तियों के लिये आवेदन पत्र निकटतम रोज़गार कार्यालय में जमा कराने की सुविधा उपलब्ध है।
- विभाग के द्वारा रोज़गार एवं स्वरोज़गार के अवसरां के बारे में जानकारी देने के लिये एक पाक्षिक समाचार पत्र "राजस्थान रोज़गार संदेश" माह की एक व पन्द्रह तारीख को प्रकाशित किया जाता है।
- विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं की जानकारी विभाग की वैबसाइट www.rajrojgar.nic.in पर भी उपलब्ध है।
- भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप विभाग के द्वारा निदेशालय स्तर पर राजस्थान राज्य में कार्यरत प्राइवेट प्लेसमेन्ट एजेन्सियों का भी पंजीयन किया जाता है। पंजीयन हेतु प्रपत्र निदेशालय से प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभाग की वैबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
- राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुरोध पर आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों के फार्म रोज़गार कार्यालयों में बिक्री हेतु उपलब्ध करवाये जाते है।
- विभाग के द्वारा आशार्थियों को समुचित रोज़गार/स्वरोज़गार/कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने एवं नियेाजकों को पात्र आशार्थी उपलब्ध करवाने की द्वष्टि से जिला स्तर पर रोज़गार सहायता शिविरों का आयोजन करवाया जाता है।

- विभाग के द्वारा सभी रोज़गार कार्यालयों में रोज़गार परामर्श केन्द्रों के माध्यम से आशार्थियों को रोज़गार/स्वरोज़गार के संबंध में व्यावसायिक/शैक्षणिक मार्गदर्शन एवं अन्य उपयोगी सूचनाओं को उपलब्ध करवाया जाता है।

रोज़गार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम 1959 एवं नियमावली 1960 के मुख्य प्रावधान :–

- यह अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र में समस्त संस्थानों एवं निजी क्षेत्र के 25 या अधिक कर्मी कार्यरत वाले संस्थानों पर लागू होता है।
- रोज़गार कार्यालय (अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन) अधिनियम–1959 के प्रवर्तन हेतु निदेशक, रोज़गार सेवा द्वारा रोजगार कार्यालय के सहायक निदेशक/जिला रोज़गार कार्यालयों को शक्तियॉ प्रायोजित की गई है, जिसके अंतर्गत वे समय समय पर संस्थानों का निरीक्षण कर अभिलखों की जॉंच कर सकते है एवं उल्लंघन करने पर अभियोजन कार्यवाही प्रारंभ कर सकते है। अधिनियमान्तर्गत संस्थानों द्वारा उल्लंघन धारा 7(1)के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं न्यायिक कार्यवाही मुख्यतः नियम 2 कारणो से हो सकती है:–

  1–त्रैमासिक विवरणी ई.आर–1 समयान्तर्गत न भेजने तथा

  2–निश्चित प्रकार की रिक्तियों को भरने से पहले स्थानीय नियोजन कार्यालय को अधिसूचित नहीं करने पर

नागरिक अधिकार पत्र के उल्लंघन पर विभागीय प्राधिकृत अधिकारी :–

- पंजीयन, संप्रेषण, अनिवार्य रिक्ति ज्ञापन अधिनियम–1959 के संबंध में जिला स्तर पर रोज़गार कार्यालध्यक्ष।
- राज्य स्तर पर नागरिक अधिकार पत्र में प्रदत्त अधिकारो के उल्लंघन पर निदेशक, रोज़गार सेवा निदेशालय, जयपुर को आवेदन किया जा सकता है।

प्रदेश में रोज़गार कार्यालय :–

1– उप क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाडा, झुन्झुनू, जयपुर, कोटा, जोधुपर, बीकानेर, उदयपुर एवं श्रीगंगानगर।

2– जिला रोज़गार कार्यालय, दौसा, बून्दी, सीकर, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, धौलपुर, झालावाड़, राजसमन्द, टोंक, सवाई–माधोपुर, बाड़मेर, बाँसवाडा, जैसलमेर, जालौर, बाँरा, डूँगरपुर, सिरोही, चित्तोड़गढ़, चुरू।

3–ग्रामीण / उप रोज़गार कार्यालय, ब्यावर(अजमेर), कुशलगढ़(बाँसवाड़ा), प्रतापगढ़(चित्तौड़गढ़), सागवाड़ा(डूँगरपुर), भिवाड़ी(अलवर), रावतभाटा(चित्तौड़गढ़)।

अन्य योजनायें–

अक्षत योजना, 2007 (राजस्थान स्नातक बेरोज़गारी भत्ता, 2007)

- राजस्थान राज्य में स्नातक बेरोज़गार आशार्थियों को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु अक्षत योजना, 2007(राजस्थान स्नातक बेरोज़गारी भत्ता, 2007) 1–7–2007 से उक्त योजना रोज़गार विभाग के माध्यम से सभी जिलों में लागू है।
- योजना के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश के मूल निवासी जो राजस्थान के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक एवं समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हों, वे पात्र है।
- आयु सीमा सामान्य आशार्थियों के लिये 30 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / जनजाति / निःशक्त जन के लिये 35 वर्ष है।
- आशार्थी प्रदेश के किसी एक रोज़गार कार्यालय में आवेदन की तिथि से विगत छः माह से लगातार पंजीकृत हो।
- एक परिवार के अधिकतम 2 सदस्य भत्ते के लिये पात्र होगें।
- भत्ता पुरूष प्रार्थी के लिये 400 / – रूपये प्रतिमाह, महिला प्रार्थी के लिये 500 / –रूपये प्रतिमाह एवं निःशक्त जन प्रार्थी के लिये 600 / – रूपये प्रतिमाहं
- भत्ता अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा रोज़गार / स्वरोज़गार पाने तक, जो भी पहले हो, के लिये दिया जायेगा।

राजकौशल समिति

- रोज़गार विभाग के अधीन राजस्थान रोजगार सरलीकरण एवं कौशल विकास समिति(राजकौशल) का गठन किया गया जिसका पंजीयन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंतर्गत क्रम संख्या 432/07 के द्वारा दिनांक 18–9–2007 को किया गया।
- समिति के प्रमुख उद्धेश्यो में कौशल विकास से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का संचालन, विभिन्न एकेडमियों की स्थापना, बेरोज़गार आशार्थियों के रेाजगार सरलीकरण हेतु रोज़गार/स्वरोज़गार के विभिन्न कार्यक्रमों को हाथ में लेना आदि प्रमुख है।
- बजट घोषणा 2007–08 की अनुपालना में जयपुर में खेतान पालिटेक्निक के परिसर में एनीमेशन एकेडमी स्थापित है। उक्त एकेडमी में दो कोर्स चलाये जाते है। प्रत्येक कोर्स में 50 आशार्थियों को प्रवेश दिया गया। पहला कोर्स छः माह की अवधि का है जिसमें बी एफ ए/एम एफ ए/बी.ई./बी.सी.ए./एम.सी.ए. योग्यताधारी आशार्थी पात्र है। दूसरा कोर्स एक वर्ष की अवधि का है जिसके लिये 12 वी कक्षा उत्तीर्ण एवं अधिक योग्यता के आशार्थी पात्र है।

बजट घोषणा 2008–09 में

- राजस्थान आजीविका मिशन द्वारा प्रस्तावित एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण योजना–2008 का भी संचालन राजकौशल समिति के द्वारा जिला इकाईयो के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित

जाति/जनजाति के युवाओं को औद्योगिक व सेवा इकाईयो में प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें रोज़गार के लिये सक्षम बनाया जायेगा। इसके लिये प्रति आशार्थी को रूपये 1500/– प्रतिमाह एवं औद्योगिक/सेवा इकाई को रूपये 1000/– प्रति आशार्थी प्रतिमाह तीन माह तक देय होगा। इस प्रकार योजनान्तर्गत प्रति आशार्थी रूपये 7500/– का प्रावधान रखा गया है।

————————